	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	17/11/17 [illegible] अधिकारी BPR [illegible] [illegible] के अनुसार दिनांक 6/11/17 [illegible] [illegible]	
	6/11/17 वकुलाय उपस्थित हैं अभियोगी की तरफ से हेतु तलवाना प्रेषित नहीं अब फिर हैं अभियुक्त गण की तरफ से आगामी तारीख पेशी हेतु 7 दिवस के अन्दर प्रेषित पत्रावली दिनांक 20/9/17 को पेश हो।	
	20/9/17 वकुलाय उपस्थित हैं अभियोगी की तरफ से हेतु तलवाना प्रेषित नहीं। प्रकरण गवाह व तरफ पत्रावली दिनांक 6/11/17 को पेश हो।	
	6/11/17 पक्षकार पेश हुआ। वकुलाय अभियुक्त द्वारा बाबी आदेश धारा 156(3) CrPC के तहत खारिज हो चुका है। दावा खारिज होने की दशा में प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रहता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा बाबी आदेश धारा 156(3) CrPC खारिज होने की दशा में उसी तरह से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नथी होकर दाखिल दफ्तर हो।	